

आयुक्त  
बरेली मण्डल, बरेली।

सेवा में,

सचिव  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक: सी0बी0एस0ई0/574-48 /2013-14 दिनांक 31/12/13  
विषय: डा0 सुदामा प्रसाद विद्यास्थली जी सरजीवेयर रसूलपुर जहानगंज शाहजहाँपुर को  
सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये अवगत कराना है कि शासनादेश दिनांक 14-07-09 के क्रम में गठित समिति निर्णय दि 31-12-2013 के क्रम में उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबंधों के अधीन आपत्ति नहीं है:-

- 01 विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 02 विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 03 विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 04 संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन नई दिल्ली/कौंसिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इकजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने के तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
- 05 संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों का राजकीय मंडल का उच्च शिक्षण कक्षाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायेंगे।
- 06 कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराया जायेगा।
- 07 राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 08 विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकाओं के रखा जायेगा।
- 09 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

आयुक्त

बरेली मण्डल, बरेली।

प्राचार्य Principal

जवाहर नवोदय विद्यालय, मिलौली  
Jawahar Navodaya Vidyalaya, Mithali  
लखीमपुर खीरी-262727  
Lakhimpur-Kheri-262727

पू0सं0: सी0बी0एस0ई0/ /2013-14 दिनांक उक्तवत्

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- 01 संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, शिक्षा अनुभाग, लखनऊ।
- 02 शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 03 जिलाधिकारी, शाहजहाँपुर।
- 04 संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली।
- 05 जिला विद्यालय निरीक्षक, शाहजहाँपुर।
- 06 प्रबन्धक/प्रधानाचार्य डा0 सुदामा प्रसाद विद्यास्थली जी सरजीवेयर रसूलपुर जहानगंज शाहजहाँपुर
- 07 निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उ0प्र0 लखनऊ।

Dr. Sudama Prasad Vid yasthali  
Shahjahanpur

Dr. Sudama Prasad Vid yasthali  
Shahjahanpur

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
बरेली मण्डल, बरेली।